केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,

सी-3, शास्त्रीनगर, शास्त्रीनगर सर्किल के पास, जोधपुर- 342 003 [राजस्थान]

ई-मेल: woolindiajodhpur@dataone.in

फोन नम्बर- 0291-2433967, 2616328 फैक्स नम्बर- 0291-2439017

क्रमांक- केऊविबो/स्था./दैनिक वेतनभोगी/10-11/ दिनांक-

निविदा सूचना

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्रीनगर, जोधपुर कार्यालय निम्नलिखित कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार संविदा आधार पर (Contract Basis) श्रम शक्ति/कार्मिक उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत सहकारी संस्थाओं/संगठनों/सैनिक बोर्ड इत्यादि से निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण		योग्यता व अनुभव
1.	कम्प्यूटर टंकक-सह-लिपिकीय कर्मी	-	स्नातक व कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण का ज्ञान
2.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	-	स्नातक व कम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान
3.	कार्यालय सहायक	-	स्नातक
4.	सुरक्षाकर्मी/चौकीदार	-	8वीं पास
5.	ऑफिस बॉय	-	8वीं पास
6.	वाहन चालक	-	8वीं पास, वैध वाहन चालन का लाइसेन्स व 2 वर्ष का अनुभव

नियम व शर्ते:-

1. निविदादाता के पास उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा दिये गये निर्णयानुसार (दिनांक 04.03.2011 इसी विषय पर) अनुबन्ध लेबर/कार्मिक (रेग्यूलेशन व एबोलिशन) एक्ट 1970 के अन्तर्गत वैध लाईसेन्स होना चाहिए।
2. निविदादाता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् पालना करनी होगी।
3. कार्मिकों का कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F.) एवं अन्य नियमों के तहत् देय लाभ, कार्मिक उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत संस्था का ही होगा।
4. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सर्विस टैक्स भुगतान की प्रति बोर्ड को प्रतिमाह उपलब्ध करानी होगी।
5. उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति/कार्मिक पंजीकृत संस्थाओं के स्थाई/अस्थाई कर्मचारी होंगे जो संविदा के आधार पर बोर्ड कार्यालय में कार्य करेंगे।
6. भविष्य में ऐसे व्यक्तियों/कार्मिकों द्वारा बोर्ड में किसी प्रकार के स्थाई/अस्थाई पद के लिए किए गए दावे के लिए उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा।
7. पंजीकृत संस्थाऐं जो कार्मिक उपलब्ध करवा रही है, को प्रतिकार्मिक/प्रतिदिन/प्रतिमाह प्रात: 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य करने के आधार पर अपना ऑफर/निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
8. उपलब्ध कराये गये कार्मिक की सेवाऐं यदि संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो उसकी जगह पर अन्य कार्मिक तुरन्त उपलब्ध कराना होगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

9. उपलब्ध कराये गये व्यक्ति/कार्मिक किन्हीं गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं होने चाहिए एवं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। संस्था द्वारा घोषणा कि बोर्ड में कोई सम्बन्धी कार्यरत नहीं है।

10. उपर्युक्त कार्यालय के लिए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवश्यक योग्यताधारी व कानूनी तौर पर वैद्य परिवहन लाइसेन्सधारी, चिकत्सकीय दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति/कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे।

11. दरें प्रतिदिन/प्रतिमाह के आधार पर प्रस्तुत करनी होगीं।

12. अनुबन्ध एक वर्ष के लिये मान्य है तथा इसको अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

13. प्रत्येक निविदादाता को रूपये 5000/- अमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे तथा सफल निविदादाता को रूपये 20,000/- परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में जमा कराने होंगे।

14. निर्धारित समय पर कार्मिक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में रूपये 50/- प्रति कार्मिक/प्रतिदिन की दर से दण्ड लगाया जावेगा।

15. निविदाओं के सम्बन्ध में **सर्वाधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेंगे** तथा बिना कारण स्पष्ट किए ऑफर/निविदाओं को रद्द/स्वीकृत करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

16. प्रति सप्ताह शनिवार एवं रविवार को बोर्ड कार्यालय में राजकीय अवकाश रहता है, परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ऐसे अवकाशों के दिनों में कार्मिकों को कार्य पर बुलाया जा सकता है।

17. सुरक्षाकार्मिकों के कार्य दिवसों का समय बोर्ड द्वारा अलग से निर्धारित किया जावेगा।

18. कार्मिको को बाहर यात्रा पर भेजने की स्थिति में वास्तविक द्वितीय स्लीपर क्लास (रेलभाड़ा)/द्रुतगामी बस किराया व बाहर रहने/खाने हेतु रूपये 200/- प्रतिदिन के हिसाब से देय होगा।

19. ऑफर/निविदाऐं दिनांक 10.05.2011 को समय 2.30 PM तक कार्यालय में पंहुच जानी चाहिए। लिफाफे पर **``संविदा आधार पर कार्मिकों की पूर्ति हेतु निविदा``** अंकित किया जाना आवश्यक है।

20. प्राप्त ऑफर/निविदाओं को दिनांक 10.05.2011 को 3.00 PM कार्यालय में उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा निविदादाता द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष खोला जावेगा।

(के.के. गोयल)
कार्यकारी निदेशक

क्रमांक- केऊविबो/स्था./दैनिक वेतनभोगी/10-11/ दिनांक-

प्रतिलिपि-

1. सूचना पट्ट, जिलाधीश कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, जोधपुर।
2. सूचना पट्ट, सूचना केन्द्र, कार्यालय सूचना केन्द्र, कचहरी रोड़, जोधपुर।
3. सूचना पट्ट, नगर निगम कार्यालय, पॉलेटेक्नीक कॉलेज परिसर, जोधपुर।
4. लेखा शाखा, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर।
5. सूचना पट्ट, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर।
6. मेसर्स ____

कार्यकारी निदेशक

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,

सी-3, शास्त्रीनगर, शास्त्रीनगर सर्किल के पास, जोधपुर- 342 003 [राजस्थान]

ई-मेल: woolindiajodhpur@dataone.in

फोन नम्बर- 0291-2433967, 2616328 फैक्स नम्बर- 0291-2439017

तकनीकी निविदा फार्म

संस्था का नाम		
संस्था के प्रतिनिधि का नाम व पता तथा फोन नम्बर		
संस्था के रजिस्ट्रेशन, पेन नम्बर का उल्लेख (प्रति सलंग्न करें)		
1	निविदादाता के पास राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार अनुबन्ध लेबर/कार्मिक (रेग्यूलेशन व एबोलिशन) एक्ट 1970 के अन्तर्गत वैध लाईसेन्स होना चाहिए। प्रमाण पत्र संख्या अंकित करें व प्रति सलंग्न करें।	
2	कार्मिकों का कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F.) एवं अन्य नियमों के तहत् देय लाभ, कार्मिक उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत संस्था का ही होगा। E.P.F. रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित करें।	
3	सर्विस टैक्स संख्या का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उनके भुगतान की प्रति बोर्ड को प्रतिमाह उपलब्ध करानी होगी।	
4	उपलब्ध कराये गये व्यक्ति/कार्मिक किन्हीं गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं होने चाहिए एवं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। संस्था द्वारा घोषणा कि बोर्ड में काई सम्बन्धी कार्यरत नहीं है।	
5	प्रत्येक निविदादाता को रूपये 5000/- अमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। (डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. का नम्बर अंकित करें) प्रति सलंग्न करें।	

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,

सी-3, शास्त्रीनगर, शास्त्रीनगर सर्किल के पास, जोधपुर- 342 003 [राजस्थान]

ई-मेल: woolindiajodhpur@dataone.in

फोन नम्बर- 0291-2433967, 2616328 फैक्स नम्बर- 0291-2439017

वित्तीय निविदा फार्म

संस्था का नाम	
संस्था के प्रतिनिधि का नाम व पता तथा फोन नम्बर	
संस्था के पेन नम्बर का उल्लेख	

क्र. सं.	**विवरण**	**दरें**	
		प्रतिदिन	**प्रतिमाह**
1	कम्प्यूटर टंकक-सह-लिपिकीय कर्मी		
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर -		
3	कार्यालय सहायक		
4	सुरक्षाकर्मी/चौकीदार		
5	वाहन चालक		
6	ऑफिस बॉय		
7	अन्य		

सुरक्षाकर्मी की दरें 12 घन्टे प्रतिदिन/प्रति माह के अनुसार प्रेषित करें।